

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), विकासनगर, देहरादून

मूल वाद संख्या-112/2022

1. श्रीमति रजनी तोमर पत्नी श्री जयपाल सिंह तोमर, निवासी म० नं०-38 लेन नं० 2 सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
2. श्रीमति सरस्वती जुयाल पत्नी श्री चन्द्रकिशोर जुयाल, निवासी 156, भारूवाला, क्लेमनटाउन, देहरादून।

बनाम

1. श्री सुरेश गुरंग पुत्र श्री सूरज बहादुर गुरंग
2. श्री सुनील गुरंग पुत्र श्री सूरज बहादुर गुरंग दोनो निवासीगण म०नं० 1, रजिया बिल्डिंग, हरीनगर, नई दिल्ली।
3. श्री राहुल गुरंग पुत्र नामालूम, निवासी रायपुर रोड, देहरादून, जिला देहरादून।

दिनांक-11.12.2023

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी सं० 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आई०सी० रमोला उपस्थित। बार-बार पुकार पर भी वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण की अपने वाद को चलाने की रुचि नहीं है। अतः वाद को वादीगण की अनुपस्थिति के कारण आदेश 9 नियम 8 सी०पी०सी० के अधीन खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद आदेश-9, नियम-8 सी०पी०सी० के अधीन खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

(रवि शंकर मिश्रा),
सिविल जज (सी०डि०),
विकासनगर, देहरादून।